Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

क्रमांकः एफ10(6)विप्रौ / विउनवलगढ / 2016 / 462 दिनांकः 08.09.2025

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञान उद्यान, नवलगढ, झुंझुंनू हेतु विभिन्न सेवाओं/ कार्यों के एक वर्षीय अनुबन्ध हेतु मोहरबन्द लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें (द्विस्तरीय निविदा सिस्टम) निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा जमा / प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय (दोपहर 1 बजे तक)
1.	संचालन, प्रदर्शन, गतिविधि आयोजन सेवायें	09.98	19960 / –	200 / –	19.09.2025
2.	तकनीकी रखरखाव सेवा	02.35	4700 / –	200 / –	19.09.2025
3.	बागवानी कार्य मय सामग्री	03.60	7200 / –	200 / –	19.09.2025
4.	सफाई कार्य मय सामग्री	03.50	7000 / –	200 / –	19.09.2025
5.	सुरक्षा कार्य	08.50	17000 / –	200 / –	19.09.2025

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस विभाग की रोकड़ शाखा से निर्धारित निविदा शुल्क नकद (डाक द्वारा मंगवाने पर रु 50 / – अतिरिक्त) जमा कराकर या **अनुसंधान अधिकारी**, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के साथ दिनांक 19.09.2025 को दोपहर 11 बजे तक भिजवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई निविदाएं उपरोक्तानुसार 19.09.2025 को दोपहर 1 बजे तक निविदा में वर्णित कार्यालय में स्वीकार की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के संदर्भ में 19.09.2025 को दोपहर 3 बजे विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट *www.dst.rajasthan.gov.in* / स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर देखा एवं डाउनलोड कर मय निर्धारित शुल्क के विभाग में जमा करवाया जा सकता है।

अनुसंधान अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
बीकानेर

PART – A
भाग – अ

विषय–सूची

क्र.स.	विवरण	अध्याय #
1.	**निविदा महत्वपूर्ण दिनांक व प्रसंग**	
2.	निविदा आमंत्रण	**अध्याय 1**
3.	निविदा सूचना	**अध्याय 2**
4.	कार्य विवरण	**अध्याय 3**
5.	पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)	**अध्याय 4**
6.	बयाना राशि (Earnest Money Deposit)	**अध्याय 5**
7.	निविदा की विधि	**अध्याय 6**
8.	अपात्रता	**अध्याय 7**
9.	निविदा का मूल्याकंन	**अध्याय 8**
10.	प्रतिभूति राशि एवं निर्णित हर्जाना (Security Deposit and Liquidated Damages)	**अध्याय 9**
11.	सामान्य नियम ,शर्ते एवं भुगतान **विधि**	**अध्याय 10**

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

मूल्य ₹ 200.00

निविदा–प्रपत्र

कार्य का नामः **विज्ञान उद्यान, नवलगढ, झुझुनू में अनुबन्ध पर साफ–सफाई कार्य मय सामग्री उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा**

महत्वपूर्ण दिनांक एवं प्रसंग

निविदा संख्या	**क्रमांकः 462 दिनांक 08.09.2025**
निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	**दिनांक 19.09.2025 को दोपहर 1 बजे तक**
तकनीकी निविदा खोले जाने की तिथि एंव समय	**दिनांक 19.09.2025 को दोपहर 3 बजे**
निविदा फार्म सामने अंकित वैब साईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	www.dst.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in
निविदा की वैधता अवधि	3 months from the date of opening of Bid

Name of the Company / Firm:	**—— अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखे ——**
Name of Contact Person:	
Address of Company/ Firm for Correspondence:	
Office Telephone No. / Mobile No. :	
Office Fax No.	
Office E-Mail Address:	

जहाँ सेवा कार्य सम्पादित किया जाना है, का पताः—
विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुझुनू राजस्थान।

जहां निविदा प्रपत्र प्राप्त किया व जमा कराया जाना है। :—
1. क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मरूधरा कॉलोनी, नागणेचेजी मंदिर रोड़, बीकानेर, राजस्थान। फोन 0151—2226661

जहां निविदाएं खोली जानी हैः —
क्षेत्रिय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मरूधरा कॉलोनी, नागणेचेजी मंदिर रोड़, बीकानेर, राजस्थान। फोन 0151—2226661

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

अध्याय–1
निविदा आमंत्रण

राजस्थान सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग योग्य फर्मों से **विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुन्झुनू राजस्थान में अनुबन्ध पर साफ–सफाई कार्य मय सामग्री उपलब्ध कराने के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदाएं** आमंत्रित करता है।

1. निविदा विहित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।

2. निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने के साथ राजस्थान (SPPP) सरकार एवं विभाग की अधिकृत वैबसाइट www.dst.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित कर दी है।

3. निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालयाध्यक्ष के अनुभाग में उपलब्ध होने के साथ साथ उक्त वैबसाइट पर भी उपलब्ध है जो कि इच्छुक फर्मों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।

4. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र का भली–भांति अध्ययन कर ले तथा ***विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुनू राजस्थान में सम्बन्धित कार्य*** का निरीक्षण कर लें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक कार्यालय समय में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।

5. निविदादाता, पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय समस्त वांछित प्रपत्रों/संलग्नकों के, निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में, निविदा सूचना में अंकित स्थान पर जमा करवाना सुनिश्चित करवायेगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क एवं बयाना राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है। जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी (निविदा शुल्क एवं बयाना राशि के डीडी/बैंकर्स चैक अलग–अलग प्रस्तुत करें एवं चैक/डीडी के पिछले पृष्ठ भाग पर पैंसिल से अपनी फर्म का नाम एवं निविदा (कार्य) का नाम, संख्या अंकित करें) तथापि, यदि निविदादाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा मे उसका उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व–सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।

7. विभाग द्वारा समय पर प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदाएं खोली जायेंगी तथा तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें सम्बन्धित फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी जिसका दिनांक, समय व स्थान निविदादाताओं को सूचित कर दिया जाएगा।

8. निविदादाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर प्रस्तुत करेगा।

9. विभाग को किसी भी निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नही किया जायेगा।

10. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नही की जायेगी। सशर्त निविदा स्वीकृत नहीं होगी।
11. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदा प्रपत्र आदि उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिये।
12. निविदा प्रपत्र स्याही से भरे जायेंगे। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
13. **दरें शब्दों एवं अंकों दोंनो में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन (कटिंग्स एवं ओवरराईटिन्स) नहीं होनी चाहिये। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं निविदादाता उस स्थान पर हस्ताक्षर करेगा।**
14. निविदायें उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
15. यदि इन शर्तो के किसी भाग, निविदा के स्पेसिफिकेशन के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे विभाग के सक्षम अधिकारी से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना होगा।
16. निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा । यह राशि नकद (₹ 20,000 से कम की राशि) अथवा बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो "Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner" अथवा " अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग, बीकानेर" के नाम होगा, के द्वारा जमा करायी जायेगी। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के **8 दिवस** की अवधि के भीतर रू. 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा और कार्यादेश की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
17. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से भी कम दरों वाली निविदा को, स्वीकार करने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या निविदा स्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगा। विज्ञान पार्क परिसर नवलगढ, झुंझुंनू स्थित निविदत्त कार्य को निविदादाता देख लेवे एवं कार्य की प्रकृति को समझ लेवे।
18. किसी भी बिन्दु संबंधित या निविदा प्रपत्र संबंधित संशोधन विभाग द्वारा SPPP पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगें।
19. अन्य बिन्दु जो विधिवत हों।

अनुसंधान अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
बीकानेर

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

अध्याय–2

निविदा सूचना

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञान उद्यान, नवलगढ, झुंझुंनू हेतु विभिन्न सेवाओं/ कार्यों के एक वर्षीय अनुबन्ध हेतु मोहरबन्द लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें (द्विस्तरीय निविदा सिस्टम) निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा जमा/प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय (दोपहर 1 बजे तक)
1.	सफाई कार्य मय सामग्री	03.50	7000/–	200/–	19.09.2025

निविदा प्रपत्र एवं शर्ते इस विभाग की रोकड़ शाखा से निर्धारित निविदा शुल्क नकद (डाक द्वारा मंगवाने पर रु 50/– अतिरिक्त) जमा कराकर या **अनुसंधान अधिकारी**, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के साथ दिनांक 19.09.2025 को दोपहर 11 बजे तक भिजवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई निविदाएं उपरोक्तानुसार 19.09.2025 को दोपहर 1 बजे तक निविदा में वर्णित कार्यालय में स्वीकार की जावेगी। प्राप्त निविदाओं के संदर्भ में 19.09.2025 को दोपहर 3 बजे विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट *www.dst.rajasthan.gov.in*/स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर देखा एवं डाउनलोड कर मय निर्धारित शुल्क के विभाग में जमा करवाया जा सकता है।

अनुसंधान अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
बीकानेर

अध्याय 3
कार्य विवरण

विभाग द्वारा अभीष्ठ कार्य के विवरण निम्नानुसार है :

अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जावेगा तथा सन्तोषप्रद पाया गया तो ठेका/अनुबन्ध पूर्व की दरों शर्तो पर पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकता है।

3.1 **भागः—अ** विज्ञान उद्यान परिसर, नवलगढ, में अनुबन्ध पर सफाई का कार्य मय सामग्री ।

भाग—अ विज्ञान उद्यान परिसर, नवलगढ, में अनुबन्ध पर सफाई का कार्य मय सामग्री ।

1) भवन

विभाग के निम्न कार्य बिन्दुओं पर सेवाप्रदाता द्वारा कार्यालय समय में सफाई व्यवस्था हेतु निम्न प्रकार कार्य निष्पादकों (प्रत्येक बिन्दु पर एक) की उपस्थिति अनिवार्य है:

क्र.सं.	विवरण	कार्य बिन्दु मात्रा
1	प्रथम तल जिसमें समस्त कार्यालय, टॉयलेट्स, मैन कोरिडोर, वर्कशॉप गैलेरी तारामण्डल आदि स्थित है	1
2	भवन के चारों तरफ का पाथ—वे, सामने का लॉन, पोर्च, पार्किंग, गेट न. के अन्दर व बाहर का ऑडिटोरियम के सामने तक का समस्त हिस्सा	1
	कुल	2

2) विज्ञान उद्यान परिसर

क्र.सं.	विवरण	कार्य बिन्दु मात्रा
1	पीएसएलवी से ट्रेफिक परिसर, पीछे के टॉयलेट्स, समस्त पाथ—वे एवं निर्मित क्षेत्र व हरा क्षेत्र। मुख्य भवन के चारों तरफ का क्षेत्र ट्रेफिक पार्क परिसर से, डायनासौर पार्क स्थित समस्त पाथ—वे एवं निर्मित क्षेत्र व हरा क्षेत्र।	1
	कुल	1

ठेकेदार/निविदादाता को प्रतिदिन उचित संख्या में कार्मिक लगााते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सफाई का कार्य प्रतिदिन सम्पादित किया जाना होगा। इस हेतु उपरोक्तानुसार कार्य बिन्दुओं पर न्यूनतम 03 कार्य निष्पादक निर्धारित वर्दी में एवं अधिकृत पहचान पत्र के साथ प्रत्येक कार्य दिवस में उपलब्ध रखने होंगे। ठेकेदार/निविदादाता द्वारा कार्य निष्पादन हेतु अनुभवी व सम्बन्धित कार्य में कुशल व्यक्तियों के माध्यम से ही सेवा प्रदान करनी होगी।

3.2 कार्य का विस्तृत विवरणः—

3.2.1 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि विज्ञान उद्यान परिसर में छत, दीवार, कॉच, तस्वीर व किसी भी वस्तु की सतह इत्यादि पर धूल/निशान/धब्बे/जाले

दिखाई नहीं देने चाहिए। इसके लिए निविदाकर्ता को उपयुक्त सफाई साम्रगी से साफ करना होगा।

3.2.2 ठेकेदार/निविदादाता को प्रतिदिन उचित संख्या में सफाई कर्मी लगााते हुए यह सुनिश्चित करना होगा । संचालन के समय से पूर्व सफाई की जानी आवश्यक होगी।

3.2.3 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा एक सुपरवाईजर को लगाना होगा जो कि सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था की निगरानी करेगा तथा इस सुपरवाईजर का नाम व फोन न. विभाग को उपलब्ध कराने होगें। सुपरवाईजर को कार्यस्थल पर ही **उपस्थित रहना होगा** । सुपरवाईजर को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

3-2-4 सफाई कार्यों में फर्श की सफाई एवं पोछा शामिल है। सफाई कार्यों में फिनाईल, साबुन के पानी का घोल इत्यादी अन्य साम्रगी जो सफाई कार्य में उपयोग आती हो उपयोग में लाना होगा। सफाई कार्य के पश्चात् प्रत्येक कक्ष एवं कोरीडोर में रुम फ्रेशनर छिडकवाने की व्यवस्था करनी होगी।

3.2.5 कार्यालय में सफाई कार्य करने वाला कार्य में पूर्ण दक्ष होना अनिवार्य है। साथ ही कमरों की सफाई व्यवस्था वैक्यूम क्लीनर द्वारा एक सप्ताह में कम से कम तीन बार रूटीन सफाई के अलावा करवाई जानी हैं सफाई झाडू या वैक्यूम क्लीनर द्वारा करने के पश्चात् फिनाईल डाल कर उस क्षेत्र को रोजाना पोंचा लगाना एवं कमरें में रखे फर्नीचर को डस्टर से अच्छी तरह से साफ करने का दायित्व सफाईकर्मी का रहेगा। निविदाकर्ता द्वारा रखे गये सुपरवाईजर उपरोक्त सफाई कार्य को समय पर करवाने के अलावा यह भी सुनिश्चित करेगें कि सफाई व्यवस्था धूल रहित पूर्ण हो रही है।

3.2.6 वैक्यूम क्लीनर द्वारा अधिकारियों के कमरों के अलावा अन्य कमरों मे कारपेट/सोफा सैट/परदें आदि की सफाई प्रत्येक एक सप्ताह में एक बार एवं गर्मीयों में दो बार एवं धूल भरी आंधियों के आने पर उसी दिन आवश्यक रूप से करनी होगी।

3.2.7 सफाई उपकरणों, मशीन आदि को कार्य करने के बाद सुरक्षित व सही स्थान पर रखेगें जिससे दर्शकों को असुविधा न हो ।

3.2.8 शौचालयों की धूलाई साबुन के पानी एवं फिनाईल के उपयोग से करना होगा। शोचालयों में फिनाईल की गोलियों का प्रयोग एवं समय–समय पर तेजाब अथवा केमिकल से सफाई तथा सफाई सम्बन्धि पाउडर का प्रयोग भी करना होगा। समस्त शोचालयों में प्रतिदिन साफ नेपकीन, साबुन, फिनाईल की गोलियां निर्धारित स्थान पर हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए।

3.2.9 विज्ञान उद्यान परिसर की गटर लाईन में सप्ताह में एक बार लाईन में पानी एवं एसिड चलाकर साफ करना होगा तथा इस बात का ध्यान रखा जावें कि पानी नहीं जमा होने पाएं।

3.2.10 विज्ञान उद्यान परिसर, नवलगढ, (भवन एवं उद्यान) की सफाई करने के पश्चात् कचरें को भवन परिसर के बाहर निर्धारित स्थान पर डालने की व्यवस्था करनी होगी इसके अतिरिक्त दूसरी जगह कचरें को डालने की अनुमति नहीं होगी।

3.2.11 ठेकेदारों/निविदादाताओं को विशेष आयोजनों/अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष सफाई का कार्य भी करना होगा। विशेष सफाई कार्य सामान्य कार्यालय समय/दिवस के अलावा भी करवाया जा सकेगा जिसकी सूचना यथा समय पूर्व में अधिकृत अधिकारी द्वारा ठेकेदार/निविदादाता को दी जावेगी। इस प्रकार की सफाई व्यवस्था की पूर्ण

जिम्मेदारी ठेकेदार/निविदादाता की होगी तथा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

3.2.12 इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा बतायें गये समस्त कार्यों को पूरा करना होगा एवं सफाई करने वाले व्यक्ति उपलब्ध कराने होगें।

3.2.13 ठेकेदारों/निविदादाताओं को सफाई सम्बन्धित निम्न साम्रगी की उपयुक्त मात्रा में व्यवस्था स्वयं को करनी होगी जिसका कोई भी भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा, इसकी दर निविदा में शामिल होगीः–

1.	फिनाईल,मिट्टी का तेल ,फिनिट स्प्रे,रुम स्प्रे
2.	टॉयलेट साबुन
3.	फिनाईल की गोलियां सभी टॉयलेट्स में एवं आवश्कतानुसार
4.	वाशिंग पाऊडर
5.	पोंचे, झाडू, सूती कपड़ा
6.	सफाई कार्य हेतु ग्लब्स
7.	हार्पिक या समकक्ष, एसिड, टॉयलेट क्लीनर आदि
8.	ओडोनिल या समकक्ष कोलीन आदि क्लीनिंग स्प्रे
9.	डस्टर ब्रुश, जाले साफ करने का ब्रश मय हैण्डल
10.	अन्य साम्रगी जो आवश्यकतानुसार सफाई कार्य में उपयोग आती हो

3.2.14 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा सफाई कार्य आवश्यक उपकरण/मशीनें/ संसाधनों द्वारा किया जावेगा। सफाई कार्य के उपयोग में लिये जाने वाले उपकरण/मशीन/संसाधन/ठेकेदार/निविदादाता के स्वयं के होगें :–

नियमित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य**:** दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त निम्न विवरण के अनुसार कार्य करना होगा :–

क.	**स्थान**	**विवरण**	**आवृत्ति**
अ.	**भवन**		
1.		मेज, कुर्सी, दरवाजे, एवं फर्श इत्यादि का सफाई कार्य	प्रतिदिन प्रातः एवं आवश्यकतानुसार
		पर्दे/ब्लाइंड्स, छत के कोने, पंखे इत्यादि की सफाई कार्य	साप्ताहिक एवं आवश्यकतानुसार
2.		फर्श का सफाई कार्य	दिन में तीन बार एवं आवश्यकतानुसार
		छत (भीतर से), दीवार, तस्वीरें, दरवाजे, इत्यादि	प्रति दिन प्रातः एवं आवश्यकतानुसार
3.		सम्पूर्ण क्षेत्र	दिन में तीन बार एवं आवश्यकतानुसार
4.		फर्श, छत (भीतर से), मेज कुर्सी एवं, दरवाजे, खिडकिया, रैक्स मानीटर/ टी.वी., काँच की दीवार, इत्यादि	प्रतिदिन प्रातः एवं आवश्यकतानुसार

5.		छत का फर्श, नाली, ड्रेन पाइप इत्यादि	माह में एक बार एवं आवश्यकतानुसार
6.		कुर्सी, फर्नीचर, स्टेज, दीवारें, कारपेट आदि की सफाई	प्रतिदिन एक बार एवं आवश्यकतानुसार
ब.	**उद्यान परिसर**		
1.	उद्यान परिसर में स्थित समस्त प्लेटफार्म आदि	मेज, कुर्सी, दरवाजे, एवं फर्श पर्दे/ब्लाइंड्स, छत के कोने, पंखे इत्यादि का सफाई कार्य	प्रतिदिन प्रातः एवं आवश्यकतानुसार
2.	उद्यान परिसर में समस्त लॉन में कचरा एवं पत्ते उठाने का कार्य	सूखे पत्ते, सूखी घास, दर्शकों द्वारा फेंके गये अन्य डिस्पोजेबल आईटम्स एवं अन्य गंदगी या कचरा जो लॉन में पड़ा हुआ हो	प्रतिदिन प्रातः एवं आवश्यकतानुसार
3.	उद्यान परिसर में स्थित होद/पानी की टकी आदि		आवश्यकतानुसार

3.2.15– विज्ञान उद्यान, नवलगढ, भवन के प्रत्येक तल पर स्थित समस्त कक्ष/ हॉल/ मुख्य द्वार / निकास द्वार (कॉरिडोर)/ ऑडिटोरियम/ तारामण्डल/ आदि के बाहर एवं अन्दर आवश्यकतानुसार गमले रखने होंगे एवं उनकी प्रतिदिन देखभाल करनी होगी।

3.2.16– ठेकेदारों/निविदादाताओं को विशेष आयोजनों/अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष सफाई का कार्य भी करना होगा। विशेष सफाई कार्य सामान्य कार्यालय समय/दिवस के अलावा भी करवाया जा सकेगा जिसकी सूचना यथा समय पूर्व में अधिकृत अधिकारी द्वारा ठेकेदार/ निविदादाता को दी जावेगी। इस प्रकार की व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/ निविदादाता की होगी तथा इसका कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

3.2.17– इसके अतिरिक्त केयर टेकर/अधिकृत अधिकारी द्वारा बताये गये समस्त सफाई सम्बन्धी कार्यों को पूरा करना होगा।

3.2.18– **साफ–सफाई के सामान हेतु अनुमानित मासिक व्यय 2500.00 रूपये संभावित है।**

हस्ताक्षर निविदादाता एवं नाम
सील

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

अध्याय 4
पात्रता के मानदण्ड (Eligibility Criteria)

विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुंनू में अनुबन्ध पर साफ–सफाई कार्य मय सामग्री उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु

निविदादाता को इन निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये एवं अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

(ए) निविदादाता की पात्रता (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है एवं जिनके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1. निविदा फर्म के निदेशको/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति को निविदा भरने हेतु फर्म के निदेशको/ प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशक/ प्रोपराइटरों/ साझेदारों/ मालिक/ कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिये।

2. निविदादाताओ को निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित बयाना राशि आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। इसके प्रमाण के रूप में नकद जमा रसीद अथवा निर्धारित मूल्य का डीडी/ बैंकर चैक जो कि "Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner" अथवा " अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर" के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ प्रपत्र में विवरण अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। तथापि कोई निविदादाता निविदा शर्तो के अनुरूप निविदा मूल्य में छूट पाना चाहता है तो उसे निविदा में इसका उल्लेख करते हुए समस्त आवश्यक प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे जिनके बिना उसे छूट का पात्र नही समझा जायेगा।

बयाना राशिः–

3. ठेकेदारों/निविदादाताओं को बयाना राशि सम्बधिंत अध्याय/ निविदा सूचना में दिये गये विवरण के अनुसार आवश्यक रूप से निविदा जमा करवाने के समय– बयाना राशि (EARNEST MONEY), के रूप में नकद की रसीद की प्रति (₹ 20,000/– से कम की राशि होने की स्थिति में) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभुति निक्षेप जो "Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner" अथवा " अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर" के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करवानी है। बयाना राशि के अभाव में निविदा निरस्त समझी जायेगी। तथापि कोई निविदादाता निविदा शर्तो के अनुरूप बयाना राशि में छूट पाया जाना चाहता है तो उसे निविदा में इसका उल्लेख करते हुए समस्त आवश्यक प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होगे जिनके बिना उसे छूट का पत्र नही समझा जायेगा।

पंजीकरण :–

4. ठेकेदार/निविदादाता/फर्म **को निविदा के साथ** किसी भी **सक्षम अधिकारी द्वारा (राज्य/केन्द्र) श्रम सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण की** स्वसत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी चाहिये जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

5. ठेकेदार/निविदादाता/फर्म किसी भी सक्षम प्राधिकारी (राज्य व केन्द्र) से अधिकृत **GST** सम्बधिंत विभाग में पंजीकृत होनी चाहिये| फर्म की निविदा के साथ आवश्यक रूप से उक्त पंजीकरण प्रपत्रो की स्वयॅ द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

6. निविदादाता फर्म श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए **(यदि लागू है)** तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित **पंजीयन प्रमाण–पत्र** की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र में विवरण अंकित करते हुए संलग्न की जानी अनिवार्य है।

कार्यानुभवः –

7. निविदादाता को किसी भी निविदत्त कार्य के संबंध में अनुबन्ध पर कार्मिक उपलब्ध कराने के कार्य या तत्सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने का **न्यूनतम 01** वर्ष का अनुभव हो जिसमें अनुभव के प्रमाण के तौर पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मय कार्यादेश की प्रतियां एवं भुगतान प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। इसका विवरण इस निविदा प्रपत्र के Annexure 01 में बढ़ती हुई तिथि वार अंकित किया जाना आवश्यक है।

7.(अ) फर्म इस निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि किसी राजकीय संस्था में सेवाएं दे रही हैं तो कार्यआदेश की प्रति अवश्य लगावें।

7.(ब) जिस भी अनुभव प्रमाण पत्र का हवाला Annexure-1 में दिया जावे उसका कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।

वित्तीय स्थितिः–

8. निविदादाता का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर न्यूनतम **₹** 05 लाख प्रतिवर्ष (औसतन) होना आवश्यक है। इसके प्रमाण के रूप में निविदादाता फर्म की गत तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 व 2024–25) की चार्टेड अकाउन्टेन्ट (संविदा लेखाकार) से प्रमाणित बैलेन्सशीट/ऑडिट रिपोर्ट की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

9. निविदादाता के विभिन्न टैक्स जैसे जीएसटी/आयकर व अन्य राज्य/केन्द्र सरकार को देयकर 31 मार्च 2025 तक (या सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक) बकाया नहीं होने चाहिए।

10. निविदादाता द्वारा अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप **(Annexure-02) में** शपथ पत्र (undertaking) में प्रदान करेगा जिसमें वह स्पष्ट रूप से निविदा के साथ लगाये गये प्रपत्रों/दस्तावेजों के सत्य होने को उल्लेखित करेगा **व** प्रमाणित करेगा कि निविदादाता फर्म केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड नही किया गया है।

11. उक्त पात्रता पूरी करने वाले योग्य निविदादाता ही तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में सफल माने जावेगें तथा उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) में योग्य नहीं पाये जाने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
(हस्ताक्षर करने वाले का नाम)
फर्म की मुहर

अध्याय 5

बयाना राशि (Earnest Money Deposit)

निविदाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ बयाना राशि निम्न शर्तो के अंतर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है:

1. ठेकेदारों/निविदादाता द्वारा निविदा में अभिलिखित किए गए अनुमानित मूल्य का **2 प्रतिशत बयाना** राशि निविदा के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। बिना बयाना राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. बयाना राशि केवल नकद (₹ 20,000/– से कम की राशि होने की स्थिति में)/डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक के रूप में स्वीकार की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट तथा बैकर्स चैक किसी भी शिड्यूल्ड बैंक का "Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner" अथवा "अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग, बीकानेर" के नाम बीकानेर में देय होगा। बयाना राशि **एवं निविदा शुल्क अलग अलग जमा करवाए जाने होंगे | अलग अलग निविदा हेतु अलग अलग बयाना राशी के डिमांड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक जमा करवाने है |**
3. वित्तीय निविदा खुलने के दिनांक से तीन माह तक वैध होगी।
4. सफल निविदादाता की बयाना राशि प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) में समायोजित की जाएगी तथा शेष प्रतिभूति राशि, करार के निष्पादन के समय ली जाएगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा पृथक से पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा करा दी गयी है तो जमा करायी बयाना राशि लौटा दी जावेगी।
5. बयाना राशि का समपहरण (Forfieture of EMD):– निम्नलिखित मामलों में में बयाना राशि को समपहृत कर लिया जाएगा:–

   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।

   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

   (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

   (ङ) जब बोली लगाने वाला अधिनियम और नियमों में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

अध्याय 6
निविदा की विधि

6 यह निविदा द्वि–स्तरीय निविदा सिस्टम आधारित है जिसमें प्रथम स्तर तकनीकी निविदा है तथा द्वितीय स्तर वित्तीय निविदा है। निविदा की विधि निम्नानुसार हैः–

6.1 निविदा टाइप की हुई अथवा अमिट स्याही से भरी होनी चाहिये।

6.2 निविदा एवं संलग्न प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिये। अन्य भाषा में प्राप्त निविदा अथवा प्रपत्रों/दस्तावेजों को विचार हेतु अयोग्य माना जायेगा।

6.3 निविदा दाता निविदा प्राप्त करने ,भरने विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो ,प्रस्तुत करने के दौरान होने वाले समस्त खर्च स्वयं वहन करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा कोई भी राशि देय नही होगी।

6.4 निविदादाता से यह अपेक्षित है कि उसे साइट (जहाँ कि कार्य किया जाना है), निविदा की शर्तो एवं अन्य समस्त स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर होने वाले नुकसान और/अथवा अन्य प्रभाव के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा था विभाग किसी प्रकार के दखल /क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नही होगा।

6.5 निविदा प्रस्तुत किये जाने की आखिरी दिनांक के पश्चात् तीन माह की अवधि तक वैध होनी चाहिये। उक्त अवधि से अल्प वैधता वाली निविदा निरस्त योग्य मानी जायेगी।

6.6 प्रकाशित निविदा में इंगित तकनीकी निविदा प्रस्तुत किये जाने के अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएं विलम्बित निविदाएं मानी जायेंगी तथा उनको खोले बिना सम्बधिंत फर्मो को लौटा दिया जायेगा।

6.7 विभाग द्वारा तकनीकी निविदा को क्रय समिति एवं निविदादाता फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष प्रकाशित निविदा में इंगित तकनीकी निविदा खोले जाने के दिनांक एवं समय खोला जायेगा। तकनीकी निविदा का मूल्यांकन विभाग द्वारा अधिकृत क्रय समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें ऐसी निविदाएं जो सम्पूर्ण हो तथा अध्याय–5 में वर्णित तकनीकी अर्हताएं पूरी करती हो को तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदाएं घोषित किया जायेगा। जो निविदाएं अपूर्ण हों अथवा निर्धारत तकनीकी अर्हताएं पूरी नही करती हो उन्हे अस्वीकृत घोषित कर निरस्त कर दिया जायेगा।

6.8 तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदाओं की वित्तीय निविदा को क्रय समिति एवं तत्सम्बधिंत निविदादाता फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा जिस हेतु दिनांक, समय एवं स्थान की सूचना तत्सम्बधिंत निविदादाता फर्मो निविदा में बताये गये पते पर दे दी जायेगी।

6.9 **<u>निविदा लिफाफे एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका :–</u>**

1. निविदादाता द्वारा निविदायें दो अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा तकनीकी बिड (प्रि–क्वालीफिकेशन) तथा दूसरा वित्तीय बिड के लिए होगा।
2. निविदादाता को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी तथा **लिफाफों के उपर तकनीकी बिड या वित्तीय बिड स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा।**
3. प्रथम लिफाफे (तकनीकी बिड) में अध्याय 4 में अंकित समस्त प्रपत्र रखे जावेगे :–
   i. निविदा प्रपत्र मूल्य जमा का प्रमाण (नकद रसीद की प्रति/ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभूति निपेक्ष)

ii. अमानत (बयाना) राशि जमा का प्रमाण (डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभूति निपेक्ष/ विभाग में राशि जमा की रसीद) बयाना राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा/ राज्य सरकार से देय छूट मान्य होगी।

iii. चैक लिस्ट

iv. Annexure 1 (सेवाओं का अनुभव)

v. Annexure 2 (शपथ पत्र)

vi. Annexure 3

vii. Annexure 4 (भाग–अ के एवज में केवल फर्म के लेटर हैड पर शपथ–पत्र के रूप में)

viii. अनुभव प्रमाण पत्र

ix. टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (संविदा लेखाकार) का प्रमाण पत्र की प्रति/ चार्टेड अकाउन्टेन्ट (संविदा लेखाकार) द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रति।

x. पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां (श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग **जो भी लागू हो**)

4. **दूसरे लिफाफे (नम्बर–2)** में केवल वित्तीय निविदा (बिड) होगी जिसमें निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में अपनी दर अंको में एवं शब्दो में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंको में उल्लेखित राशि में अन्तर होने पर दोनों में से जो राशि कम होगी उस पर विचार किया जावेगा।

5. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तथा फर्म की मोहर लगा होना चाहिये। ऐसा कोई भी पृष्ठ जो अहस्ताक्षरित अथवा बिना फर्म की मोहर अथवा दोनों हो ,निविदा का भाग नही माना जायेगा तथा उस पर कोई विचार नही किया जायेगा।

6. उक्त दोनों लिफाफे एक मुख्य लिफाफे में रखे जाकर जमा कराया जाना चाहिये। निविदायें निविदा में वर्णित कार्यालय में निर्धारत तिथि एवं समय तक प्रस्तुत/प्रेषित करनी होंगी। मुख्य लिफाफे के उपर **"विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुंनू में अनुबन्ध पर संचालन, प्रदर्शन एवं गतिविधि आयोजन सेवा उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा'' व "निविदा शुल्क व बयाना राशि का विवरण" (यथा जी.ए.–55 नंबर/डी.डी. /बैंकर्स चैक का ब्यौरा)"** स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। निविदादाता का पता एवं फोन नम्बर इत्यादि लिफाफे पर अंकित होना चाहिये। **डाक में विलम्ब होने का कारण स्वीकार्य नहीं होगा।**

लिफाफा संख्या	**लिफाफों में निम्न दस्तावेज होने चाहिये**
लिफाफा सं.1	**<u>तकनीकी निविदा, लिफाफा (नम्बर–1):</u>** 1. निविदा प्रपत्र शुल्क का प्रमाण 2. बयाना राशि का प्रमाण 3. अध्याय 11 (निविदा प्रपत्र) 4. चैक लिस्ट 5. **Annexure-1** 6. **Annexure-2** 7. **Annexure-3** 8. **Annexure-4** 9. सभी प्रमाण पत्र/अनुभव, कार्यादेश आदि की सत्यापित प्रतियां 10. टर्नओवर प्रमाण पत्र आदि
लिफाफा सं.2	**<u>वित्तीय निविदा लिफाफा (नम्बर–2):</u>** **अध्याय–12**
मुख्य लिफाफा	उपरोक्त दोनों लिफाफे

मुझे/हमें इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्ते मंजूर है।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता

मोहर

अध्याय 7
अपात्रता

7 निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती है :

7.1 निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एंव समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदाएं।

7.2 बिना निविदा मुल्य एवं बयाना राशि के जमा निविदाएं। यदि उक्त हेतु छूट चाही गयी है तो इसके लिये पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियो के बिना प्राप्त निवदायें।

7.3 अपूर्ण वित्तीय निविदा प्रपत्र अर्थात वित्तीय बोली के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ने पर बोली प्रतियोगिता से बाहर मानी जावेगी।

7.4 भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।

7.5 खराब कार्य यथा किसी अनुबन्ध को बीच में छोड़ना, खराब कार्य हेतु रिकार्ड उपलब्ध होना इत्यादि, अकारण देरी, कार्य/आदेशों की अपालना/देरी (एकाधिक बार), वित्तीय असफलता।

7.6 विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी से प्रदान करना।

7.7 एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्याकंन में निरस्त की जा सकेंगी।

7.8 अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।

7.9 तकनीकी अर्हताओं का पूर्ण न कर पाना।

7.10 निविदादाता अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।

7.11 अल्प वैद्यता वाली निविदा प्रस्तुत करना।

7.12 यदि निविदादाता का अनुबंध समयावधि में व्यवहारकुशल न होना।

7.13 **सर्विस चार्ज शून्य में अंकित की गई बोलियां मान्य नहीं होगी एवं निरस्त समझी जावेगी।**

अध्याय 8
निविदा का मूल्याकंन

8 निविदा का मल्यांकन निम्नानुसार होगाः

8.1 तकनीकी निविदा, निविदा–सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली समस्त निविदाएं क्रय समिति एवं फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय को खोली जायेगीं। उक्त तिथि/समय में परिवर्तन होने पर नवीन तिथि की सूचना प्रदान कर दी जायेगी।

8.2 तकनीकी निविदाएं खुलने के समय समस्त वित्तीय निविदाओं के लिफाफे बन्द रखते हुए निविदाओं के खुलने समय क्रय समिति के सदस्यों एवं सफल फर्मों उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेगें।

8.3 तकनीकी निविदाएं खुलने के बाद इनको तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यक समझने पर निविदादाताओं से उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रपत्र/दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण भी मंगा सकता है जिसे निविदादाताओं को तय समय सीमा विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निविदादाताओं द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी का होगा। स्पष्टीकरण के जवाब में कोई भी नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।

8.4 तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात् देरी से आने वाली, अपूर्ण अथवा तकनीकी अर्हता पूर्ण नही करने वाली निविदाओं को अस्वीकार करते हुए निरस्त घोषित कर दिया जायेगा तथा अन्य सभी निविदाओं को स्वीकार करते हुए उन की वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी।

8.5 गलतियों का सुधारः–वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन विभाग द्वारा किया जायेगा। इस दौरान किसी प्रकार की गलती का सुधार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग 2 मे वर्णित नियमों के तहत किया जायेगा।

8.6 गलतियों के सुधार के पश्चात् नियमानुकूल संशोधित दरों के आधार पर निविदाओं का आंकलन किया जायेगा।

8.7 प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश दिया जावेगा निविदादाता द्वारा कार्यादेश को स्वीकार करने साथ विभाग के साथ प्रतिभूति राशि जमा करवाते हुए रू. 500/– अथवा तत्सम्बन्धित समय पर प्रचलित कानून/नियमों के अनुसार राशि के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध एवं प्रतिभूति राशि तय समय सीमा में प्रस्तुत करनी होगी।

8.8 **निविदा की सभी प्रकार की वित्तीय दरें दशमलव के बाद दो स्थान/अंक तक ही मान्य होगी।**

8.9 **तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदादाताओं की ओर से प्रस्तुत वित्तीय बोली की दरें यदि एल–1 हेतु समान पाई जाती है तो कार्यादेश हेतु एल–1 निविदादाता का निर्धारण क्रय समिति द्वारा विभिन्न मानकों के आधार पर विवेक से किया जायेगा और सर्वमान्य होगा।**

नोटः– सर्विस चार्ज में निम्नलिखित राशि सम्मिलित होगीः

1. **सेवा का सर्विस चार्ज जो संवेदक द्वारा लिया जायेगा।**
2. **एक वर्ष में दो युनिफार्म (सर्दी एवं गर्मी मौसम के अनुसार) की राशि।**
3. **प्लास्टिक प्रिंटेड आई.कार्ड. की राशि।**
4. **कर्मचारियों के सुपरविजन पर व्यय।**

अध्याय 9
प्रतिभूति राशि एवं निर्णित हर्जाना

(Security Deposit and Liquidated Damages)

9 प्रतिभूति राशि (Security Money), व निर्णित हर्जाना (Liquidated Damages) निम्नानुसार होगें:

9.1 प्रतिभूति निक्षेप सफल निविदादाता द्वारा क्रय/कार्य आदेश की राशि का 5 % के बराबर प्रतिभूति राशि आदेश की दिनांक से 8 दिवस में जमा करानी होगी।

9.2 प्रतिभूति निक्षेप निम्नलिखित किसी एक रूप में दी जाएगीः–

(क) ''ई. जी. आर. ए. एस.(e-GRAS) के माध्यम से जमा'';

(ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

(ग) नगद राशि के रूप में।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।

(ङ) बैंक एफडीआर नियमानुसार ।

9.3 प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfieture of Security Deposit):– निम्नलिखित मामलों में में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगाः–

9.3.1 जब संविदा में किन्हीं नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो,

9.3.2 जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,

9.3.3 जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा।

9.3.4 बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की समपहृत की गयी राशि सम्बंधित विभाग के शीर्ष अन्य प्राप्तियों में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

9.3.5 जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश होने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।

9.3.6 जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

9.4 प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदायः– अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा। निविदा दाता को रूपये 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यदि किसी प्रकार की बकाया राशि निकलती है तो वह राशि निविदा दाता से वसूल करने के उपरान्त ही शेष राशि लौटायी जायेगी।

9.5 हर्जाना/शास्ति :– कार्य निविदा की शर्तों के अनुरूप न करने पर या विलम्ब से सम्पादित करने पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम (भाग–II) के नियम 58 के अनुसार क्षतिपूर्ति आरोपित की जायेगी। किसी माह मे कार्य अपुर्ण या असन्तोषजनक रहने की स्थिति में हर्जाना/शास्ति निम्नानुसार वर्णित राशि के अनुसार उस माह अथवा पश्चातवर्ती बिलों में से काट ली जावेगी।

1.	किसी कार्य बिन्दु पर कार्य संतोषजनक न करने अथवा कार्य निष्पादन करने वाले की अनुपस्थिति होने पर मासिक बिल से निम्न दर से कटौति कर ली जावेगी– कटौति की दर प्रति दिवस प्रति कार्य बिन्दु रुपये में = अनुबन्ध की मासिक दर (रुपयों में)/ निविदा में अंकित कुल कार्य बिन्दुओं की संख्या x 26
2.	उक्त के अतिरिक्त 3 दिवस में निर्देशित कार्य न करने की स्थिमि में विभाग द्वारा निविदादाता के हर्जे–खर्चे पर, वांछित कार्य करवाया जा सकता है जिसकी राशि बिल अथवा सुरक्षा राशि से काटी जा सकेगी।
3.	किसी कार्य बिंदु पर आशिक कार्य (कार्य निष्पादक द्वारा आधे दिन कार्य करने पर) उस बिन्दू का भुगतान आधा किया जाएगा।
4.	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों का भुगतान प्रत्येक माह की 8 तारीख से पूर्व करना होगा अन्यथा 500 रूपये प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जायेगी।
5.	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित वर्दी में आना अनिवार्य है। किसी दिन वर्दी में नहीं आने पर ₹ 50/– प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शास्ति आरोपित की जायेगी।

कुल शास्ति एक माह की अनुबन्ध दरों से अधिक नहीं होगी।

9.6 सफल निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस में निर्धारित राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।

9.7 निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस की अवधि में कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि निविदादाता उक्त अवधि में कार्य आरम्भ करने में असफल रहता है तथा परिनिर्धारित नुकसानी के साथ परिधान अवधि में वृद्धि की जाती है तो कार्य के एक माह के मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर परिसमापित नुकसानी (Liquidity damage) की वसूली की जाएगी :

No	**Condition**	Liquidity damage
a.	Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period / commencement of work	**2.5 %**
b.	delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period / commencement of work	**5.0 %**
c.	delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period / commencement of work	**7.5 %**
d.	Delay exceeding three fourth of the prescribed period / commencement of work	**10.0 %**

9.8 सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के अनुसार सात कार्य दिवस से अधिक की अवधि तक कार्य अपूर्ण छोड़ने अथवा नहीं करने की स्थिति में वह कार्य निविदादाता के हर्जे खर्चे पर विभाग द्वारा पूर्ण करवाया जा सकता है।

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

अध्याय 10
सामान्य नियम, शर्तें एवं भुगतान

निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगे।

1 निविदादाता अपनी निविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नही सोंपेगा या उपभाडे (सबलैट) पर नहीं देगा।

2 स्वीकृत निविदादाता को अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिये कार्य का अनुबंध करना होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से नियमानुसार और बढाया जा सकेगा।

3 कार्य आदेश मिलते ही निविदादाता को विभाग से संबंधित अधिकारी से रखरखाव व उससे संबंधित उपकरणों का चार्ज संभालना होगा।

4 निविदादाता द्वारा समस्त चल व अचल संपत्ति सही व चालू हालत में रखरखाव के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से संभाल कर लेनी होगी तथा ठेके की अवधि समाप्त होने पर सही व चालू हालत मे वापस संभलवानी होगी।

5 उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यों में रही कमियों के लिए शास्ति निर्धारण का पूर्ण अधिकार निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को होगा।

6 निविदादाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आकस्मिकताओं के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

7 निविदादाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध मे लागू किसी भी प्रकार के कानूनों, नियमों एवं उपनियमों से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दायित्वें एवं बाध्यताओं के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

8 उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी/ कर्मचारियों के निर्देशानुसार संबंधित समस्त कार्य करने होंगे।

9 विभाग द्वारा निविदादाता का कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में अथवा उपरोक्त शर्तो की पालना न करने पर यह संविदा राज्य सरकार द्वारा एक माह के नोटिस पर रद्द की जा सकेगी।

10 विभाग द्वारा निविदादाता के कर्मचारियों का आचरण /कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में अथवा उपरोक्त शर्तो की पालना न करने पर यह कर्मचारियों को तुरन्त हटाना होगा।

11 राज्य सरकार द्वारा जनहित में ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

12 निविदादाता द्वारा रखे गये कर्मचारियों/कार्मिकों के भुगतान/पीएफ/बीमा आदि की समस्त जिम्मेंदारी निविदादाता की होगी।

13 निविदादाता के कार्मिकों हेतु अतिरिक्त कार्य/साप्ताहिक छुट्टी के एवज में किये गये कार्य का कोई अतिरिक्त भुगतान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

14 निविदा के निर्वचन आशय या व्याख्या एवं शर्तो के उल्लंघन के संबंध में निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

15 समस्त विधिक कार्यवाहियां (यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो) जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी।

16 निविदा हेतु सामान्य नियम एंव शर्ते निम्नानुसार रहेगे।

17 राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकारी की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

18 **न्यूनतम दैनिक मजदूरी**:–ठेकेदार/निविदादाता द्वारा अपने कर्मीयों को राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दिये जाने की अण्डरटैकिंग देनी होगी। इस सम्बन्ध मे समय पर जारी सभी राजकीय अनुदेश की पालना की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

19 **ESI & PF:-** कर्मचारी राज्य बीमा के अतर्गत कटौति किया जाना एंव राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मियो पर लागू करना एंव इस प्रकार की राशी को नियमानुसार समय पर जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार/निविदादाता को होगा। संवेदक आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के **ESI & PF** के अंशदान की राशि का नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

20 श्रम नियमों व अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी नियमों की पालना का उत्तरदायित्व ठेकेदार/निविदादाता का रहेगा। किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा निविदादाता के माध्यम से विभाग मे नियुक्त दैनिक मजदूरी/वेतन भोगी को अन्य किसी प्रकार के दावे का भुगतान विभाग द्वारा देय नही होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

21 सम्बन्धित कार्यो मे कार्यरत कर्मियो को तत्समय प्रचलित कानून/ नियमो के तहत समस्त सुरक्षा उपकरण/संसाधन/परिवेश उपलब्ध करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/निविदादाता की होगी। सफाई कार्यों के विवरण मे दिये सफाई कार्यो को करते समय दुर्घटनावश अथवा अन्य किसी कारण से घायल होने, अथवा स्थाई/अस्थाई रूप से अपंग होने की स्थिती मे –समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार ठेकेदार/निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

22 संवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारी श्रमिकों को मजदूरी भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

23 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने का दायित्व संवेदक का होगा।

24 संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की राशि का अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालानों की प्रति आगामी बिल के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। इसके अभाव में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

25 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा कार्य करने वाले व्यक्तियों (सदस्यो) के फोटो idenity card-cum-entry pass जारी किये जायेगें एंव उपरोक्त कार्ड के साथ ही कार्य के लिए विज्ञान उद्यान परिसर मे प्रवेश करेगे, अन्यथा नही। साथ ही कार्य निष्पादकों की सूची विभाग को भी उपलब्ध करवानी होगी। कर्मियों की समस्त देखरेख ठेकदार/निविदादाता की होगी एंव इनके अतिक्ति कोई भी दूसरे व्यक्ति का विज्ञान उद्यान परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। कार्य करने वाले व्यक्ति निधारिंत वर्दी मे ही प्रवेश करेगे अन्यथा नही। ठेकेदार/निविदादाता को स्वंय के खर्चे पर कार्य कर रहे कर्मियो को वर्दी उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही यदि काई कर्मी कार्य को छोडकर जाता है अथवा नया भेजा जाता है तो इसकी समस्त जानकारी कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध करवानी होगी। इन कार्यो के लिए किये जाने वाले समस्त खर्चे का भुगतान विभाग द्वारा वहन नही किया जावेगा।

26 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियो के चाल एवं चरित्र के लिये निविदादाता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे। कर्मियों के चाल चलन एंव चरित्र से सम्बधित पूर्व मे यदि कोई रिकार्ड कानूनी रूप से खराब हो तो उसे कार्य के लिये नही लगाया जावेगा।

27 विभाग द्वारा निविदादाता के कर्मचारियों का आचरण/कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में अथवा उपरोक्त शर्तो की पालना न करने पर यह कर्मचारियों को तुरन्त हटाना हेागा

28 ठेकेदार/निविदादाता निविदत्त कार्य का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित (सबलेट) नही कर सकेगा। ऐसा पाया जाने पर ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी

29 निविदत्त कार्य व्यवस्था के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों को निविदादाता को पालन करना होगा तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार/निविदादाता को कार्य सुनिश्चित करना होगा।

30 ठेके/निविदा की अवधि मे यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर निदेशक, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एंव ठेकेदार/निविदादाता को मान्य होगा।

31 किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियां किसी भी पक्ष (सरकार अथवा संविदाकार) द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता पडे तो जयपुर स्थित न्यायालय मे ही प्रारम्भ होगी एवं अन्य स्थान पर नहीं।

32 किसी भी माह मे कार्य पर्याप्त स्तर की नहीं पायी जाने पर उस माह के बिल मे से नियमनुसार शास्ति राशि दण्ड स्वरूप **अध्याय–9 के अनुसार** काट ली जावेगी।

33 **अनुबन्ध राशि का भुगतान**ः–ठेकेदार/निविदादाता को कार्यो का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर कार्य सन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में किया जायेगा। अनुबन्ध राशि का मासिक बिल तीन प्रतियों मे अलग–अलग प्रस्तुत करने होगें तथा संबधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा। कार्य सन्तोषजनक न पाए जाने की स्थिति मे **अध्याय–9** के अनुसार की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।

34 सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य सात कार्य दिवस से अधिक की अवधि तक अपूर्ण छोड़ने अथवा नहीं करने की स्थिति में सफल निविदादाता के हर्जे–खर्चे पर विभाग द्वारा करवाया जा सकता है।

35 नियमानुसार आयकर/अन्य कर की कटौती की जायेगी।

36 वित्तीय निविदा मे शब्दों एवं अंको मे भिन्नता पाए जाने की स्थिति में शब्दों में वर्णित दरों को ही मानते हुए तुलना की जावेगी। यदि गणना मे कोई त्रुटि है तो अलग दरों को सही मानते हुए इनके योग की गणना कर तुलना हेतु लिया जावेगा।

37 सामान्य स्थितियों मे निविदा के पश्चात् बातचीत नहीं की जायेगी। तथापि, बातचीत निम्नतम निविदाकारों से उन परिस्थितयों में की जा सकती है जहा रिंग मूल्य उद्वरित किए गए हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो एवं प्रचलित बाजार दर से अत्यधिक उची हों। स्वीकार्य दरों के असमाधान प्रद उपलबधियों के मामले मे क्रय समिति निम्नतम निविदाकार हेतु नियमो मे दिये गये अनुसार प्रति प्रस्ताव करने का भी निश्चय कर सकती है। यदि प्रतिप्रस्ताव निम्नतम निविदाकार को स्वीकार्य न हो तो समिति निविदाओं को नामजूंर करने और निविदा पुनः आमंत्रित करने या उसी प्रतिप्रस्ताव को पहले द्वितीय निम्नतम निविदाकार को और तथा तृतीय निम्नतम निविदाकार को और इसी क्रम मे उस निविदाकार को प्रतिप्रस्ताव दिया जा सकता है जो प्रतिप्रस्ताव को स्वीकार करे।

38 सफल निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस मे अनुंबन्ध करना होगा।

39 सेवा बिन्दु की उपस्थिति प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यबिन्दु पर कार्मिक अनुपस्थित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

40 जिस सेवा बिन्दु के सेवाव्यवहार अनुशासन के प्रति असतुष्ट होने की स्थिति में उक्त सेवाबिन्दु को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा व वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

41 निविदादाता को कार्यदेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस की अवधि में कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि निविदादाता उक्त अवधि मे कार्य आरम्भ करने में असफल रहता है तथा परिनिर्धारित नुकसान के साथ परिधान अवधि मे वृद्वि की जाती है तो कार्य के एक माह के मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर परिसमापित नुकसान (liquidity damage) की वसूली की जाएगी।

No.	**Condition**	liquidity damage %
1	Delay up to one fourth period of the perscrided delivery period /commencement of work	**2.5 %**
2	Delay exceeding one fourthe but not exceeding half of the prescribed /commencement of work.	**5.0 %**
3	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period / commencement of work	**7.5 %**
4	Delay exceeding three fourth of the prescribed period / commencing of work.	**10.0 %**

* कुल शास्ति 1 माह की अनुबंध दरों से अधिक नहीं होगी।

42. निविदादाता को विभाग द्वारा जारी किसी भी प्रकार के (विज्ञान उद्यान, नवलगढ़ सम्बन्धित सुसंगत कार्य आदेश) को मानना अपेक्षित होगा अन्यथा नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

43 . Grievance Redressal during Procurement Process:

1- The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner, S&T and Government of Rajasthan.

2- The designation and address of the Second Appellate Authority Principal Secretary DST, Government of Rajasthan.

44. All the terms conditions of this bid will be followed by the bidder as per the circular of Finance (G&T) Department F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 30th April 2018 (Annexure "Z"), and also as per amendments made by Finance Department, Government of Rajasthan from time to time.

PART – B
भाग – ब

विषय–सूची

क्र.स.	**विवरण**	**अध्याय #**
1.	निविदा प्रपत्र (Bid Form) / तकनीकी निविदा	**अध्याय 11**
2.	चैक लिस्ट	
3.	*कार्य के अनुभव का विवरण*	***Annexure*** *1*
4.	*शपथ पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)*	***Annexure*** *2*
5.	*खुली निविदा के संबंध में वित्त विभाग के आवश्यक दिशा निर्देश*	***Annexure*** *3*
6.	*तकनीकी बिड के लिए शपथ–पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)*	***Annexure*** *4*
7.	**वित्तीय निविदा**	**अध्याय 12**

अध्याय–11

निविदा प्रपत्र (Bid Form)

Tender For विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुंनू में अनुबन्ध पर साफ–सफाई कार्य मय सामग्री

1.	Department Inviting the Tender		**Department of Science & Technology (DST), 4th Floor, Mini Secretariat, Banipark, Jaipur**
2.	Reference of NIT		
3.	Work or Services to be outsourced under Tender		**विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुंनू में अनुबन्ध पर साफ–सफाई कार्य मय सामग्री उपलब्ध कराना**
4.	Estimated cost of the work under		**Rs. 3.50 Lakh** **(Rs. Three Lakh Fifty Thousand Only)**
5.	Officer invited the tender		**Research Officer, Department of Science & Technology, Regional Office, Bikaner**
6.	Name of the Bidder with Particulars	Name	
		Address	
		Telephone Number with STD Code	
		Mobile No.	
		Fax Nos.	
		E-mail ID	
		Website	
	PAN/TAN numbers of the Company (enclose copy)		
	Is Company having the requisite Silence from Labour Department for Labour Contract? (Yes/No) Give details		
	If yes, provide a copy of the records. (Please mention the enclosure number)		
	ESI No. (enclose copies)		
	PF No. (enclose copies)		
	Security License Details(enclose copies)		
7.	Tender Form Cost Deposit vide		DD/Cash/Banker's Cheque ______________________ Receipt No.______________ dated___________ for Rs…..........- from bank branch ____________________________ Payable at __________________________________ ________________ (DD/Cash Receipt enclosed with technical tender)**(Original/ copy**)

<u>Tender For</u> **विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुंनू में अनुबन्ध पर साफ–सफाई कार्य मय सामग्री**

8.	Earnest money deposited vide	DD/Cash/Banker's Cheque ____________ Receipt No.__________ dated__________ for Rs…............ from bank branch ______________ Payable at ______________ __________ (Original DD/Cash Receipt enclosed herewith)		
9.	Registration Particulars of the Bidder	Status (Company / Institute / Firm Corporate Body etc.		
		Registration No. & Date		
		Office where Registered		
10.	Name and Designation of Authorized Signatory			
	Name & Designation			
	Address			
11.	Bank detail			
	Name as per the account		RTGS Code	
	Branch Name & Place		IFSC Code	
Signature of the Bidder				
Date				
Name of the Bidder Company				
Status or Post held by the person signing and submitting this bid				
Contact Phone Mobile Number with STD code				
Mobile Number				

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता
मय मोहर

चैक लिस्ट

(लिफाफा नंबर 1 में **तकनीकी निविदा के साथ रखी जानी है)**

नोटः– सभी संलग्न कागजातों/ पृष्ठों पर क्रमांक (Page No.) एवं हस्ताक्षर अंकित किये जाये एवं कॉलम संख्या–3 में लिखा जाये। सभी संलग्न कागजातों को **चैक लिस्ट के कमानुसार** तकनीकी **लिफाफा संख्या 1 में रखे**

क्र.	विवरण	निविदादाता द्वारा पृष्ठ क्र. अंकित किये जाने हैं	विवरण
1	*2*	*3*	*4*
1.	निविदा प्रपत्र मुल्य (₹................) जमा का प्रमाण(नकद रसीद की प्रति/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक/प्रतिभूति निक्षेप) (डी डी के पीछे फर्म का नाम लिखना है)	**निविदा प्रपत्र** के साथ संलग्न करे	
2.	अमानत (बयाना) राशि (₹........................) **जमा का प्रमाण** (डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभूति निपेक्ष/ विभाग में राशि जमा की रसीद) **डी डी के पीछे फर्म का नाम लिखना है**	**निविदा प्रपत्र** के साथ संलग्न करे	
3.	श्रम विभाग, विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की **प्रमाणित प्रतियां।**		
4.	GST (राज्य एवं केन्द्र) के पंजीयन प्रमाण पत्रों की **प्रमाणित प्रतियां।**		
5.	पी.एफ. विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की **प्रमाणित प्रतियां।**		
6.	**ई.एस.आई.** विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की **प्रमाणित प्रतियां।**		
7.	निविदादाता फर्म **सुरक्षा सेवा** प्रदान करने हेतु विधिमान्य लाईसेन्सधारी/राज्य या केन्द्र सरकार के विभाग से सम्बन्धित **पंजीयन प्रमाण–पत्र** की स्वप्रमाणित प्रति		
8.	Annexure–**1** कार्यानुभव का विवरण		
	कार्यानुभवः– कार्यादेश की प्रति/ भुगतान आदेश की प्रति/ कार्य पूर्णता की प्रति अथवा अन्य कोई प्रमाण। Annexure-1 के अनुसार		

	वित्तीय स्थिति: **प्रमाण के रूप में निविदादाता** फर्म **की गत** तीन **वित्तीय** वर्ष की सी0 ए0 से प्रमाणित बैलेन्स शीट/ऑडिट रिपोर्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी (औसत टर्न ओवर ₹..)			
	2022–23	टर्न ओवर............................लाख		
	2023–24	टर्न ओवर............................लाख		
	2024–25	टर्न ओवर............................लाख		
	निविदादाता द्वारा अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप **(Annexure-02) में** undertaking			
	निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप **(Annexure-03) में**			
	निविदादाता द्वारा अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप **(Annexure-04) में** undertaking			

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

Annexure-01

सेवाओं का अनुभव (तकनीकी निविदा के साथ रखी जानी है)

क्र.सं.	विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्धराजकीय / प्राईवेट	अवधि (कार्यादेश की प्रति मय प्रमाण पत्र संलग्न करें)	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग संस्थान में कार्य किया जा रहा है (हॉ / नही)	संलग्न कागजात की पृष्ठ संख्या..... ...... से ....तक

उदाहरण जैसे :–

विभाग / संस्थान का नाम	राजकीय / अर्द्ध राजकीय / प्राईवेट	अविध (कार्यादेश की प्रति मय प्रमाण पत्र संलग्न करें)	दिनांक से दिनांक तक	क्या वर्तमान में इस विभाग / संस्थान में कार्य किया जा रहा है (हॉ / नही)	संलग्न कागजात की पृष्ठ संख्या...... ..... से ....तक
सचिवालय	राजकीय	1 वर्ष	01.01.2009 से 31.12.2009 तक	नहीं	1 –4

नोटः–

जिस भी कार्यादेश का हवाला Annexure-1 में दिया जावे, उसका कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें। कार्य संतोषजनक प्रमाण–पत्र के अभाव में अनुभव की अवधि बिड मुल्यांकन में मान्य नहीं होगी। यथासंभव अनावश्यक अनुभव प्रमाण पत्र / आई एस ओ प्रमाण पत्र आदि न लगाये। संलग्नक की पृष्ठ क्र.सं. अवश्य भरें।

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

Annexure-02

शपथ पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)

(तकनीकी निविदा के साथ रखी जानी है)

मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता)..
शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करते/ करती है कि:-

1 निविदा क्रमांक .... दिनांक .... के प्रत्युत्तर में मेरे/हमारे द्वारा विभाग में जमा करवाये गये निविदा में दी गयी समस्त जानकारियाँ/ जमा कराये गये दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी एवं मैं/हम निविदा क्रमांक .... दिनांक .... में दी गई समस्त शर्तों से सहमत हैं।

2 मेरे/ हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/ हमारी फर्म केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नही की गयी है।

हस्ताक्षर

नाम:

पद:

फर्म का नाम:

फर्म का पूर्ण पता:

मोहरः

Annexure-03

(लिफाफा– नं. 1 में तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना है।)

वित्त विभाग के परिपत्र 1/2018 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में दिशा निर्देश की पालना में बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत				

हस्ताक्षर

फर्म का नाम:

फर्म का पूर्ण पता:

मोहर:

Annexure-4

शपथ पत्र

(फर्म के लेटर हेड पर लिफाफा– नं. 1 में तकनीकी निविदा के साथ प्रस्तुत करना है।)

मैं .... साझेदार/मालिक/निदेशक/मैसर्स .... का मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि, सत्यनिष्ठा से शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

1. क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर द्वारा विज्ञान उद्यान, नवलगढ़, झूंझूनुं के संचालन, प्रदर्शन एवं गतिविधि आयोजन सेवा हेतु जारी खुली निविदा क्र. .... दिनांक .... के निविदा प्रपत्र में निहित सभी अध्यायों/खण्डों/प्रपत्रों व संलग्नकों का अध्ययन कर लिया है।
2. हमारी फर्म उपर्युक्त निविदा कार्य करने हेतु सभी अर्हताएं पूर्ण करती है। जिसका विवरण निविदा प्रपत्र के निर्धारित खण्ड में वर्णित कर दिया गया है।
3. फर्म के पास इस निविदा प्रपत्र के निर्धारित अध्याय/खण्ड में वर्णित आवश्यक लाईसेंस/अनुज्ञापत्र है एवं इनकी अवधि की वैधता समाप्त नहीं हुई हैं।
4. फर्म द्वारा इस खुली निविदा क्र. .... दिनांक .... के निविदा प्रपत्र के समस्त अध्यायों/खण्डों/प्रपत्रों व संलग्नकों में निर्देशित, वर्णित एवं अपेक्षित सभी शर्तो के पालन करने की अपनी सहमति एतद द्वारा दे रहा हूँ।
5. विभाग द्वारा उपर्युक्त निविदा में इस फर्म की वित्तीय बोली नियमानुसार यदि सफल पाई जाती है तथा कार्यादेश मिलने की दशा में, फर्म द्वारा इस निविदा प्रपत्र के भाग–अ (पृष्ठ के दोनों तरफ प्रिंट कर) की मय मोहर हस्ताक्षरित प्रतिलिपि कार्यादेश तिथि या कार्यारंभ तिथि से 8 दिवस के अंदर स्टॉम्प, अनुबंध–पत्र व कार्य प्रतिभूति राशि के साथ क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर में जमा करवा दी जावेगी।

दिनांकः ....

स्थानः ....

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम :–
फर्म का नाम :–
मोहरः–

Government of Rajasthan
Department of Science & Technology (DST)
Regional Office, Marudhara Colony, Bikaner-334001
Tel. No. 0151-2226661 *www.dst.rajasthan.gov.in*

अध्याय–12

वित्तीय निविदा

(लिफाफा नंबर 2 में सील बंद कर प्रस्तुत करें)

इस निविदा क्रमांक .... दिनांक .... से संबंधित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली है और ये प्रतिबन्ध एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है। विज्ञान उद्यान नवलगढ, झुंझुंनू में साफ–सफाई कार्य मय सामग्री की निम्न प्रकार से वित्तीय निविदा प्रस्तुत है।

A	कार्य की प्रकृति			साफसफाई कार्य मय सामग्री						
B	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या			3 (अकुशल)						
		रूपया							पैसा	
C	श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी प्रति बिन्दु प्रति माह	/	/	7	4	1	0	.	0	0
D	EPF दर प्रतिशत (13%) प्रति बिन्दु प्रति माह	/	/	/	9	6	3	.	3	0
E	ESI दर प्रतिशत (3.25%) प्रति बिन्दु प्रति माह	/	/	/	2	4	0	.	8	2

निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली दरें										
		रूपया							पैसा	
F	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति बिन्दु प्रति माह							.		
G	EPF दर प्रतिशत (13%) प्रति बिन्दु प्रति माह							.		
H	ESI दर प्रतिशत (3.25%) प्रति बिन्दु प्रति माह							.		
I	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि प्रति बिन्दु प्रति माह							.		
J	कुल राषि प्रति बिन्दु प्रति माह **J=(F+G+H+I)**							.		
कुल राशि प्रति बिन्दु प्रति माह शब्दों में :										
K	सामग्री हेतु राशि रूपये प्रति माह							.		

तालिका की पंक्ति F,G,H,I,J,K में निविदा की दरें अंकों में व शब्दों में सुस्पष्ट व बिना ओवरराइटिंग/कटिंग के भरें।

नोट :–

1 निविदादाता GST को छोड़कर अन्य समस्त कर व चार्जेज सहित अपनी दरें प्रस्तुत करेगा। GST नियमानुसार प्रचलित दर के अनुसार देय होगा। अंतिम निर्णय नियमानुसार एवं निदेशक, विप्रौ. का मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरें स्वीकार नहीं की जाएगी। न्यूनतम दर के निर्धारण में दशमलव के बाद के दो (स्थान) अंकों तक की गणना भी की जावेगी।

2 न्यूनतम दर की गणना, कुल मासिक राशि के आधार पर की जाएगी, तथापि कार्य की मात्रा में बढोतरी/कमी की जा सकती है। न्यूनतम दर दाता को कार्यादेश दिया जाना आवश्यक नहीं है। कुल बिन्दुओं की मासिक राशि की गणना विभाग द्वारा की जावेगी। निविदादाता द्वारा सिर्फ प्रतिबिन्दु प्रतिमाह अकुशल की दर व सामग्री की दर ही प्रस्तुत की जानी है।

3 **सामग्री की राशि शुन्य अथवा दशमलव में न भरें। सामग्री की राशि निविदा कार्य को पुर्ण करने हेतु यथासंभव आवश्यक लागत सम्मत ही भरें जिससे निविदत्त कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सके।**

4 **सर्विस चार्ज के संबंध में अध्याय संख्या 7 व 8 का अध्ययन अवश्य करें।**

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम :–
फर्म का नाम :–
मोहरः–